

पेयजल डेपू

(4)

मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
:: मंत्रालय ::

क्रमांक 29/31/99/म/31/83

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी, 2000

:: अधिमूचना ::

मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 (क्रमांक 3, सन 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के माध्यम पठित उक्त अधिनियम की धारा 37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये इस विभाग की अधिमूचना क्रमांक 29/78/म0ल0/39/78-111 दिनांक 31.3.83 के भाग ख (3) में उल्लिखित नियम और नगरों के जल आपूर्ति की दरों को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार, एतद द्वारा नगरीय निकायों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को घरेलू उपयोग के लिये विभाग द्वारा निर्मित जल स्त्रोतों से जल प्रदाय की दर 20 पैसे प्रति हजार लीटर (प्रति घनमीटर) निर्धारित की जाती है ।

उक्त दर दिनांक 1.4.2000 से प्रभावशील होगी एवं इसमें प्रतिवर्ष 2 पैसे (दो पैसे) की वृद्धि की जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

14/01/2000
(बी.एस.वर्मा)

सचिव,

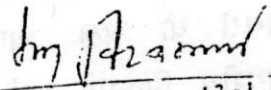
मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी, 2000

क्रमांक 29/31/99/म/31/83
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
वित्त विभाग/राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/उर्जा विभाग/आयकर विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/वन विभाग/स्थानीय शासन विभाग/नगर एवं विधायी कार्य विभाग विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग/सर्वजनिक उपक्रम विभाग/मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।

- 2/ निज सचिव, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
 - 3/ प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
 - 4/ समस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ।
 - 5/ समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश ।
 - 6/ समस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश ।
 - 7/ समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश ।
 - 8/ समस्त कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश ।
 - 9/ नियंत्रक, शासकोय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल ।
 - 10/ संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, बाणगंगा मार्ग, भोपाल ।
 - 11/ जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय की समस्त शाखाएँ ।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


12-1-2020
(एम.एल. विश्वकर्मा)

विशेष कार्यस्थल अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग